*[प्राधिकृत अनुवाद]*

# हरियाणा विधान सभा

**2025 का विधेयक संख्या 6 एच०एल०ए०**

## हरियाणा भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

**हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

**1.** (1) यह अधिनियम हरियाणा भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

1887 के पंजाब अधिनियम XVII की धारा 111क का संशोधन।

**2.** हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 111क में,–

(क) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"जहां संयुक्त भागीदार पति–पत्नी हों, के सिवाय भू–स्वामियों के मध्य संयुक्त जोत के मामले में विभाजन।";

(ख) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1) धारा 111 में दी गई किसी बात के होते हुए भी तथा ऐसी तिथि से, जो आयुक्त द्वारा किसी राजस्व संपदा के सम्बन्ध में अधिसूचित की जाए, अधिकारिता रखने वाला राजस्व अधिकारी, राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित सभी संयुक्त भागीदारों या संयुक्त भागीदारों, जिनके पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किए गए हैं, को नोटिस जारी करने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर आपसी सहमति से उनके संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि का विभाजन करवाने के लिए स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करेगा :

परन्तु यह उपबन्ध वहां लागू नहीं होगा, जहां संयुक्त भागीदार पति–पत्नी हों।"।

1887 के पंजाब अधिनियम XVII की धारा 114 का लोप।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 114 का लोप कर दिया जाएगा।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 1887 XVII) में एक संशोधन पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (हरियाणा अधिनियम 2021 का संख्या 19) द्वारा किया गया था, जिसमें संयुक्त मालिकों के बीच हिस्सेदारी से संबंधित धारा 111–क का समावेश किया गया था, जिसका उद्देश्य सिविल एवं राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की संख्या को कम करना था। जब अधिनियम 2021 का संख्या 19 बनाया गया, तो धारा 111–क को यह शर्त लागू नहीं की गई थी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ सभी सह–स्वामित्वकर्ता रक्त संबंधी हों या अन्य सह–स्वामित्वकर्ता पति–पत्नी हों। अब यह महसूस किया गया है कि रक्त संबंधी सह–स्वामित्वकर्ताओं के बीच भी संयुक्त हिस्सेदारी के मामले में महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी हो रही है। इस प्रकार, उन मामलों में जहाँ कोई रक्त संबंधी सह–स्वामित्वकर्ता संयुक्त भूमि पर हिस्सेदारी की मांग करता है, उसमें इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए धारा 111–क के शीर्षक में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह धारा सभी भूमि मालिकों पर लागू हो, सिवाय पति–पत्नी के संबंध के।

हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम 1887 का XVII) में अन्य संशोधन आवश्यक है ताकि भागीदारी मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, राजस्व अधिकारी पर यह अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई अन्य सह–स्वामी अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करना चाहते हैं या नहीं, और यदि हां, तो उन्हें बंटवारे के लिए आवेदनकर्ताओं के रूप में जोड़ें। यह अक्सर देखा गया है कि किसी खेवट के सह–स्वामी, जिनकी संयुक्त संपत्ति है, अपनी भूमि का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि उसका बंटवारा न किया गया हो और वे विशेष भूमि के एकमात्र मालिक न बन जाएं, जिनके पास विशिष्ट खसरा नंबर और आवश्यकता के अनुसार उचित ततिमा तैयार किया गया हो। इसलिए, यह आवश्यक है कि धारा 114 को हटाया जाए ताकि एक सह–स्वामी केवल अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करवा सके। राजस्व अधिकारी पर यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह सह–स्वामियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करें कि क्या अन्य सह–स्वामी अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करना चाहते हैं।

हरियाणा भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

विपुल गोयल,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री,
हरियाणा।

---

चण्डीगढ़ :
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।

---

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

## अनुबन्ध

### हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887 में धारा 111 क और 114 का संशोधन करने के लिए धारा 111 क तथा 114 से उद्धरण

**"111–क. भू–स्वामियों, जो रक्त संबंधी न हों, के बीच संयुक्त सम्पत्तियों के मामले में विभाजन** (1) धारा 111 दी गई किसी बात के होते हुए भी और इस संशोधित अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर, अधिकारिता रखने वाला राजस्व अधिकारी, राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित सभी संयुक्त भागीदारों या संयुक्त भागीदारों, जिनके पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया जाना है, को नोटिस जारी होने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर उनके संयुक्त स्वामित्व में आपसी सहमति से विभाजित भूमि को प्राप्त करने के लिए स्व–प्रेरणा से नोटिस जारी करेगा:

परन्तु यह उपबन्ध वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ सभी संयुक्त भागीदार रक्त संबंधी हों या जहाँ अन्य संयुक्त भागीदार पति–पत्नी हों।

(2) से (10) xxxxxx

**114. आवेदन में पक्षकारों को जोड़ना:** सुनवाई के लिए नियत दिन या किसी ऐसे दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जा सकती है राजस्व अधिकारी यह पता लगाएगा कि क्या अन्य सह–हिस्सेदारों में से कोई भी अपने शेयरों का विभाजन चाहता है और यदि उनमें से कोई ऐसा चाहता है तो वह उन्हें विभाजन के लिए आवेदन के रूप में जोड़ देगा।

---

11720—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.